भाग क

राजस्व प्राप्तियां

निम्नलिखित विवरण में स्थूल श्रणियों द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सार दिया गया है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इस विवरण के बाद दी गई टिप्पणियों में विभिन्न भागों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे भी दिए गए हैं, जिनके साथ दी गई संक्षिप्त टिप्पणियों में बजट और संशोधित अनुमान 2000-2001 के बीच अंतर और संशोधित अनुमानों तथा 2001-2002 के बजट अनुमानों के अंतर को स्पष्ट किया गया है।

संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 जिसे दिनांक 1/4/1996 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया हैं, के अनुसार क्रमश अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों पर अधिभार तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाए गए किसी उपकर को छोडकर केंद्र की सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए तथा संग्रहित किए जाएंगें तथा वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा जैसा निर्धारित किया जाए उस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

वर्ष 2000-2005 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वितरण का तरीका ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद जारी राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित किया गया है।

(करोड़ रुपए)

		बजट 2000-2001	संशोधित 2000-2001	बजट 2001-2002
I	**कर राजस्व**			
	निगम कर	40040	38721	44200
	आय पर कर	31590	35271	40600
	व्यय-कर	330	330	330
	धन कर	145	145	145
	सीमा शुल्क	53572	49781	54822
	संघ उत्पाद शुल्क	71252	70681	81720
	सेवा कर	2200	2200	3600
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर	329	362	382
	अन्य कर	830	830	850
	जोड़-कर राजस्व	**200289**	**198321**	**226649**
	जिसमें से व्यय के एवज में घटाया गया (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) को वित्तपोषित करने के लिए अधिभार)	...	1500	2000
	सकल कर राजस्व का शेष#	...	196821	224649
	घटाइए-राज्यों का हिस्सा	***54079***	***52418***	***61618***
	केन्द्र का निवल कर राजस्व	***146209***	***144403***	***163031***
I	**कर-भिन्न राजस्व**			
	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	47926	52165	57807
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	399	425	444
	अन्य कर-भिन्न राजस्व@	9139	9173	10463
	जोड़-कर-भिन्न राजस्व	**57464**	**61763**	**68714**
	निवल-केन्द्र का राजस्व*	**203673**	**206166**	**231745**

 # केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्से का राज्यवार वितरण अनुबंध-I में दर्शाया गया है।